मूल्य ₹ 1,000/-
Price ₹ 1,000/-

Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex

Recreational Green-1, Behind City Park, Greater Noida 201308
Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India
E-mail: scgnida@gmail.com

Printed by: Mind Makers Communications Pvt. Ltd.

GREATER NOIDA
PLANNED WITH AN OBSESSION

Greater Noida Industrial Development Authority
Plot No. 01, Knowledge Park-04, Greater Noida - 201308, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India
Fax: 0120-2336030, **E-mail:** authority@gnida.in, **Website:** www.greaternoidaauthority.in

शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा संकुल
Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex

Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex

शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा संकुल

Front view of the Cricket Pavilion

Athletic Pavilion

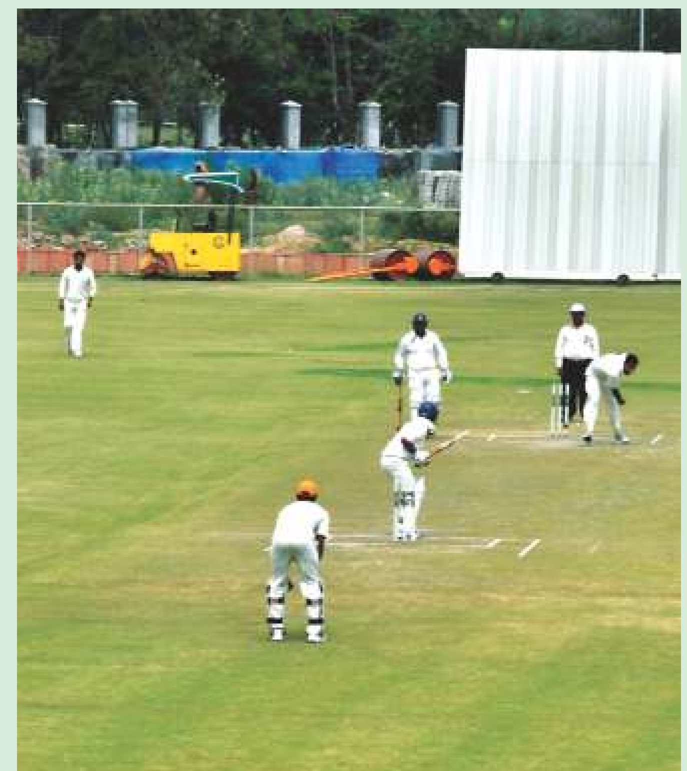

Match in progress

विषय सूची / CONTENTS

अध्याय Chapter	पैरा Para		पृष्ठ सं. Page No.
नियम एवं विनियम Rules & Regulations	1.	भूमिका Introduction	05
	2.	उद्देश्य Objectives	05
	3.	सदस्यता Membership	06
	4.	व्यक्तिगत सदस्यता Individual Membership	06
	5.	आश्रित सदस्यता Dependent Membership	06
	6.	एसोशिएट सदस्यता Associate Membership	07
	7.	वरिष्ठ नागरिक सदस्यता Senior Citizen Membership	07
	8.	निगमित सदस्यता Corporate Membership	07
	9.	अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) सदस्यता NRI Membership	07
	10.	अस्थायी सदस्यता Temporary Membership	08
	11.	विशेष अस्थायी सदस्यता Special Temporary Membership	08
	12.	मानद सदस्यता Honorary Membership	08
	13.	विशेष मानद सदस्यता Special Honorary Membership	08

14.	स्टाफ सदस्यता Staff Membership	08
15.	अतिथि सदस्यता Guest Membership	08
16.	आकस्मिक सदस्यताः (भुगतान करो एवं खेलो) Causal Membership (Pay & Play)	09
17.	मृतक सदस्यों की विधवा / विधुरों की पृथक सदस्यता Membership of widows/widowers	09
18.	सदस्यता कार्ड Membership Card	09
19.	सदस्यों के लिए प्रवेश शुल्क एवं अंशदान–शुल्कः (प्रतिदेय) Entrance Fee & Subscription Fee for Membership	09-11
20.	अंशदान का भुगतान Payment of Subscription	11
21.	अंशदान से छूट Exemption of Subscription	12
22.	सदस्यता समाप्त करना Termination of Membership	12
23.	देय राशियों का भुगतान नहीं करना Non-Payment of Dues	13
24.	रद्द की गई सदस्यता बहाल करना Restoration of Cancelled Membership	13
25.	अस्वीकृत चैक Dishonored Cheques	13
26.	सदस्यों को नोटिस Notices to Members	14
27.	नियमों और उप–विधियों का उल्लघंन करना Infraction of Rules & Bye-Laws	14
28.	सदस्यों का आचरण Conduct of Members	14

29.	अनुपस्थित–बाह्य सदस्यता Absentee/Outstation Membership	14
30.	सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों / कालेजों / संस्थानों द्वारा परिसर का उपयोग Use of Complex by Govt. / Recognized Schools /Colleges/Institutions	15
31.	नियमों और उप–विधियों का प्रतियां Copies of Rules & Bye-Laws	15
32.	गैर सदस्य छात्रों द्वारा खेल सुविधाओं का उपयोग Utilization of sports facilities by students who are not members	15
33.	प्रशिक्षण Coaching	15
34.	समय Timings	15
35.	किसी हानि / चोट / क्षति के लिए मुआवजा Compensation against Any Loss / Injury / Damages	16
36.	खेल सुविधाओं के बाधित होने पर शुल्क वापसी Refund of non-utilization of Sports facility	16
	टिप्पणी Note	16

विषय सूची / CONTENTS

अध्याय **Chapter**	संख्या	पैरा **Para**	पृष्ठ सं. **Page No.**
उप–विधियां Bye-Laws			
	1.	परिभाषा Definition	17
	2, 3, 4 एवं 5	कार्य दिवस और समय Working Days & Timings	17
	6 एवं 7	परिसर के कर्मचारी Complex Staff	17-18
	8.	कर्मचारी को इनाम देना Tipping to Staff	18
	9.	पौधों, पौध और लघु पौधों की आपूर्ति Supply of Plants, Seedlings & Saplings	18
	10.	वस्तुओं/सामग्री की बिक्री Selling of items/material	18
	11.	टूट–फूट Breakages	18
	12.	सुझाव या शिकायतें Suggestions & Complaints	18
	13.	परिसर का सामान Articles of the Complex	18
	14.	पालतू जानवर Pets	18
	15.	साईकिल/स्कूटर Cycles / Scooters	19
	16.	सूचनाएं Notices	19
	17 एवं 18	भुगतान Payment	19
	19, 20, 21 एवं 22	वाहनों की पार्किंग Parking of Vehicles	19
	23.	परिसर में तेज गति से वाहन चलाना Over speeding in the Complex	19
	24 एवं 25	वर्दी नियम Dress Regulations	19-20
	26.	अल्पाहार Refreshment	20
	27.	मद्यपान एवं धूम्रपान Drinking & Smoking	20
	28.	फिल्म /फोटो खींचना Shooting / Photography	20
	29 एवं 30	अनुशासनहीनता के कारण सदस्यता का निलम्बन Suspension of Membership for indiscipline	20

SHAHEED VIJAY SINGH PATHIK SPORTS COMPLEX, GREATER NOIDA

RULES & REGULATIONS

1. **Introduction**
   Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex has been set up by the Greater Noida Industrial Development Authority as a part of development and growth of Sports in Greater Noida City. The name of the body will be Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA), Sports Complex. It will have flood lit Tennis, Basketball, Volleyball courts, an Indoor Aquatic Stadium and playing facilities for Squash, Table Tennis, Billiards, Cricket, Football, Hockey, Aerobics, Yoga, Multigym, Swimming, Jogging and Skating. Facilities for other sports may be added subsequently.

2. **Objectives**
   The objectives of the Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex (hereinafter called the Sports Complex) are:-
   (a) To provide recreational & healthy environment to the citizens of Greater Noida keeping in view the requirement of Master Plan.
   (b) To induce sports activities and spirit of mutual help and goodwill among citizens of NCR (U.P.) in general and members of the Sports Complex in particular.
   (c) To promote various sports e.g. Tennis, Cricket, Football, Basketball, Volleyball, Squash, Table Tennis, Badminton, Swimming and other team & individual games.
   (d) To buy, prepare, supply, sell or deal in all kinds of apparatus/ materials used in connection with games provided by the Sports Complex.
   (e) To purchase, hire, make or provide and maintain all kinds of furniture, implements, tools, utensils, linen, stationery, cards and other items required in connection with the running of the Sports Complex.
   (f) To hire, engage and employ markers, coaches, instructors, grounds men and other staff required for day to day running of the complex and to pay to them as per service conditions as may be agreed upon.
   (g) To work under overall control, supervision and direction of the Management Committee under the chairmanship of Honorable CEO of GNIDA for promotion of Sports facilities in Greater Noida.
   (h) To do all other lawful things as are incidental or conducive for the attainment of the above objectives.
   (i) The Management Committee shall have power from time to time to make, alter and repeal all such rules/bye-laws as they may deem necessary or convenient for the proper conduct and management of the Sports Complex.

शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा संकुल, ग्रेटर नौएडा

नियम एवं विनियम

1. **भूमिका**
   शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा शंकुल की स्थापना ग्रेटर नौएडा ओद्यौगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नौएडा शहर में खेलों के विकास एवं प्रसार के एक भाग के रूप में की गई है। इस निकाय का नाम ग्रेटर नौएडा ओद्यौगिक विकास प्राधिकरण खेल परिसर होगा। इसमें टेनिस, बास्केट–बाल, बालीबाल के कोर्ट्स, इन्डोर तैराकी, स्टेडियम और स्कवाश, टेबल टेनिस, बिलियर्ड, क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी, एरोबिक्स, योगा, मल्टीजिम, तैराकी, जॉगिंग, स्केटिंग की सुविधाएं होगी। शेष खेल सुविधाएं बाद में दी जा सकती हैं।

2. **उद्देश्य**
   शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा शंकुल (इसे आगे खेल परिसर कहा गया है) के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–
   (क) मुख्य योजना की आवश्यकतानुसार ग्रेटर नौएडा के नागरिकों को मनोरंजन एवं स्वास्थ्य पर्यावरण उपलब्ध कराना।
   (ख) सामान्य रूप से एन.सी.आर. (उ.प्र.) के नागरिकों में और विशेष रूप से परिसर के सदस्यों में खेल गतिविधियों और पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन्न करना।
   (ग) विभिन्न खेलों, जैसे टेनिस, क्रिकेट, फुटबाल, बास्केट–बाल, बालीबाल, स्कवाश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी और अन्य टीम एवं व्यक्तिगत खेलों को बढ़ावा देना।
   (ड) खेल परिसर द्वारा उपलब्ध कराये गये खेलों के संबंध में प्रयुक्त सभी प्रकार के उपकरणों/सामग्रियों को खरीदना, तैयार करना, उनकी आपूर्ति, बिक्री या उनसे संबंधित कार्य करना।
   (च) खेल परिसर चलाने के संबंध में आवश्यक सभी प्रकार के फर्नीचर, उपकरणों, औजारों, बर्तनों, कपड़ों, लेखन–मदों, कार्डों और अन्य वस्तुओं को खरीदना, किराए पर लेना, बनाना या उपलब्ध कराना।
   (छ) परिसर के दैनिक चालन के लिए आवश्यक मार्कर, प्रशिक्षकों, अनुदेशकों, ग्राउण्डमैन और अन्य कर्मचारियों को किराए पर अनुबंधित कर कार्य करवाना तथा सहमति और सेवा–शर्तों के अनुसार भुगतान करना।
   (ज) एन.सी.आर. (उ.प्र.) में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर नौएडा आथरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में प्रबन्ध बोर्ड के सम्पूर्ण नियंत्रण, पर्यवेक्षण और विनिदेश में कार्य करना।
   (ण) उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वे सभी विधि संगत कार्य करना जो सम्बन्धित या उपयोगी हों।
   (ट) प्रबन्धन समिति को खेल–परिसर के उपयुक्त संचालन और प्रबंध के लिए सभी नियमों / उपविधियों में समय–समय पर ऐसे संशोधन एवं निरस्त करने का अधिकार निहित होगा जो वह आवश्यक या सुविधाजनक समझें।

3. Membership

Various categories of membership are given below and are defined in succeeding paragraphs. Membership in respect of all the categories will be approved by or on behalf of the Management Committee. Membership, however, only provides playing rights in the Sports Complex.

(a) Individual Membership; Indian/ Foreign Citizen
(b) Dependent Membership
(c) Associate Membership
(d) Senior Citizens Membership
(e) Corporate Membership; Indian/Foreign Companies
(f) Non-Resident Indian (NRI) Membership
(g) Temporary Membership
(h) Special Temporary Membership
(i) Honorary Membership
(j) Special Honorary Membership
(k) Staff Membership (GNIDA, Noida and YEIDA Staff only)
(l) Guest Membership
(m) Casual Membership (pay & play)

4 Individual Membership

Any Individual above 21 years of age shall be eligible for becoming a regular member. The membership once granted shall not be transferred. Individual member can nominate his/her spouse and children (between ages of 5 years to 21 years) as dependent. It is necessary to nominate dependents at the time of applying for individual membership. The annual subscription in respect of dependent members as prescribed from time to time shall be effective from the date of approval of individual membership. The total annual subscription shall thus be calculated as per the family details given by the member. The dependent members once nominated are liable to continue as dependent members till they attain the age of 21 years, the eligible age for Associate Membership. The Management Committee however reserves the right to refuse or accept the membership of the dependents.

5. Dependent Membership

5.1 Spouse and legal children-between the age of 5 years to 21 years, are eligible to become dependent members. Dependents, however, have to be nominated by the member and their details should be disclosed in the application form/bye-laws form at the time of applying for any category of membership.

5.2 Any member who gets married after obtaining the membership of the Sports Complex may get his/her spouse included as dependent from the date of marriage. Similarly, children on attaining the age of 5 years are permitted as dependents. The onus of including the name of dependents and payment of their subscription lies with the member. The annual subscription in such cases shall be effective from the month of their getting married or children attaining the age of 5 years.

3. सदस्यता

विभिन्न प्रकार की सदस्यताओं का विवरण नीचे दिया गया है और बाद वाले प्रस्तर में उनकी परिभाषा दी गई है। सभी वर्गों की सदस्यता का अनुमोदन प्रबन्धन समिति द्वारा या उसकी ओर से किया जायेगा। तथापि सदस्यता लेने से खेल–परिसर में केवल खेलने का अधिकार ही होगा।

(क) व्यक्तिगत सदस्यताः भारतीय / विदेशी नागरिक
(ख) आश्रित सदस्यता
(ग) एसोसिएट सदस्यता
(घ) वरिष्ठ नागरिक सदस्यता
(ड) निगमित सदस्यता भारतीय / विदेशी कम्पनियां
(च) अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) सदस्यता
(छ) अस्थायी सदस्यता
(ज) विशेष अस्थायी सदस्यता
(झ) मानद सदस्यता
(ण) विशेष मानद सदस्यता
(ट) स्टाफ सदस्यता (केवल ग्रेटर नौएडा, नौएडा एवं यमुना एक्सप्रैसवे ओद्यौगिक विकास प्राधिकरण)
(ठ) अतिथि सदस्यता
(ड) आकस्मिक सदस्यता (भुगतान करो एवं खेलो)

4. व्यक्तिगत सदस्यता

21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति नियमित सदस्य बनने का पात्र होगा। दी गई सदस्यता हस्तांतरित नहीं की जाएगी। कोई भी सदस्य अपनी पत्नी / पति और बच्चों (5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के) को अपने आश्रित के रूप में नामांकित कर सकते हैं। व्यक्तिगत सदस्यता के लिए आवेदन करने के समय आश्रितों का नामांकन करना अनिवार्य है। आश्रित सदस्यों के संबंध में समय–समय पर यथानिर्धारित वार्षिक अशंदान व्यक्तिगत सदस्यता के अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगा। इस प्रकार कुल मासिक अंशदान की गणना सदस्य द्वारा दिए गए आश्रित सदस्यों की गणना के आधार पर होगी अर्थात एसोशिएट सदस्यता के लिए पात्रता की आयु 21 वर्ष प्राप्त करने तक ही आश्रित के रूप में रहेंगे। तथापित प्रबंधन समिति को आश्रितों की सदस्यता को अस्वीकार करने या स्वीकार करने का अधिकार है।

5. आश्रित सदस्यता

5.1 पत्नी / पति एवं 5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक के कानूनी बच्चे आश्रित सदस्य बनने के पात्र हैं। तथापि आश्रितों को सदस्य नामित करेंगे और किसी भी श्रेणी की सदस्यता के लिए आवेदन करने के समय आवेदन फार्म / उप विधि फार्म में उनके विवरण देगें।

5.2 कोई भी सदस्य, जो खेल परिसर की सदस्यता प्राप्त करने के बाद विवाह करता है वह अपनी पत्नी / पति को अपने विवाह की तारीख से आश्रित के रूप में शामिल कर सकता / सकती है। इसी तरह, बच्चों को 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आश्रित के रूप में अनुमति दी जाती है। आश्रित का नाम शामिल कराने, उनके अंशदान का भुगतान करने आदि की जिम्मेवारी सदस्यों की है। ऐसे मामले में वार्षिक अंशदान, उनके विवाह के महीने या बच्चों के 5 वर्ष का आयु प्राप्त करने के महीने से प्रभावी होगा।

5.3 Unless payment of subscription for dependents is made from the date of approval of individual membership, dependents will not be issued the membership card.

5.4 Dependent children will cease to be dependent member on attaining the age of 21 years. They must surrender their membership card.

5.5 The individual member intending to enroll his dependents as members at a later stage shall have to pay the annual subscription as applicable with retrospective effect i.e. from the date of approval of his/her membership.

5.6 Dependent cards will be issued for a period of 2 years at a time and new cards will be changed every 2 years with latest photographs.

6. Associate Membership

On attaining the age of 21 years, the dependent children of a member who have used the complex for a minimum period of one year may apply for Associate membership if he/she wishes to continue the use of the complex. Depending upon the availability of vacancies, the Sports Governing Board/Council may grant Associate Membership subject to following conditions:-

a) Option to become Associate member must be exercised within one year of attaining the age of 21 years.

b) Payment of a non-refundable entrance fee is equivalent to 50% of prevalent entry fee.

6.1 The annual subscription for Associate members will be same as for the individual members.

6.2 Associate members are not permitted to add dependents & to bring guests.

7. Senior Citizens Membership

Senior Citizens membership is meant only for those who have attained the age of 60 years. This will be against proof of age. Only spouse will be permitted as dependent member.

8. Corporate Membership

Public sector and private commercial firms are eligible for corporate membership subject to approval and payment of prescribed entrance fee. Five nominee will be allowed to use the facilities on annual subscription as prescribed from time to time. The sponsoring firm may get the name of nominee changed by giving prior intimation and taking approval before change of nominee is affected. The cards of the previous nominees will be surrendered.

9. NRI Membership

NRIs are eligible to obtain individual membership subject to payment of prescribed entrance fee. The entrance fee should be paid by draft in Rupees from non- resident account of the NRI through a scheduled bank along with a certificate from the bank certifying that the amount has been debited from NRI account of the individual.

5.3 यदि आश्रितों के अंशदान का भुगतान व्यक्तिगत सदस्यता के अनुमोदन की तारीख से नहीं किया जाता है तो आश्रित सदस्यता कार्ड जारी नहीं किया जायेगा।

5.4 आश्रित बच्चे के 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वह आश्रित सदस्य नहीं रहेगा। उन्हें अपना सदस्यता कार्ड वापस करना होगा।

5.5 यदि कोई व्यक्तिगत सदस्य अपने आश्रितों को बाद में किसी समय सदस्य बनाने का इच्छुक है तो उसे पूर्व प्रभाव अर्थात व्यक्तिगत सदस्यता के अनुमोदन की तारीख से लागू वार्षिक अंशदान का भुगतान करना होगा।

5.6 आश्रित कार्ड एक समय में 2 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा और नए कार्ड प्रत्येक 2 वर्ष के बाद नए फोटो के साथ बदले जाएंगे।

6. एसोशिएट सदस्यता

किसी सदस्य के पुत्रों/पुत्रियों, जिन्होंने कम से कम एक वर्ष की अवधि तक परिसर का उपयोग किया है, 21 वर्ष की आयु का होने पर यदि वह परिसर का उपयोग जारी रखने का/की इच्छुक हों तो एसोशिएट सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्थान उपलब्ध होने के आधार पर खेल प्रबन्ध बोर्ड उसे निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर एसोशिएट सदस्यता दे सकता है।

(क) 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के एक वर्ष के अन्दर एसोशिएट सदस्य बनने का विकल्प दिया जाएगा।

(ख) प्रचलित प्रवेश–शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर अप्रतिदेय शुल्क का भुगतान करना होगा।

6.1 एसोशिएट सदस्य के लिए वार्षिक अंशदान शुल्क व्यक्तिगत सदस्य के शुल्क के समान ही होगा।

6.2 एसोशिएट सदस्य को अपने आश्रितों का नाम शामिल करने और अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं होगी।

7. वरिष्ठ नागरिक सदस्यताः

वरिष्ठ नागरिक सदस्यता केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो 60 वर्ष की आयु के हो चुके हैं। इसके लिए उन्हें आयु का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। आश्रित सदस्य के रूम में केवल उनकी पति/पत्नी ही मान्य होगी।

8. निगमित सदस्यता

सार्वजनिक क्षेत्र एवं प्राइवेट व्यवसायिक संस्थाएं अनुमोदन एवं निर्धारित प्रवेश शुल्क के भुगतान की शर्ते पर निगमित सदस्यता के लिए पात्र हैं। पाँच नामित व्यक्ति को समय–समय पर यथानिर्धारित प्रतिवर्ष अंशदान पर सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। प्रायोजक संस्था पूर्व सूचना देकर नामित व्यक्ति को परिवर्तित करा सकती है और नामित व्यक्ति का परिवर्तन होने से पहले अनुमोदन लेना अवाश्यक है। विगत नामित व्यक्ति का कार्ड वापस लौटाना होगा।

9. अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) सदस्यता

अनिवासी भारतीय निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करने की शर्त पर व्यक्तिगत सदस्यता प्राप्त करने के पात्र हैं। राशि का भुगतान निर्धारित बैंक के माध्यम से अनिवासी खाते से निर्धारित प्रवेश–शुल्क की समकक्ष राशि के रुपये में ड्राफ्ट द्वारा और बैंक से इस आशय के एक प्रमाण पत्र के साथ भुगतान किया जाए कि राशि व्यक्ति के अनिवासी खाते से डेबिट कर दी गई है।

10. **Temporary Membership**

Temporary membership is for a period of 3/6 months on one time non-refund-able payment of fee as prescribed. It is family membership. Spouse and children constitute the family. Dependents (spouse and children) pay the prescribed fee for the dependent membership. Payment should be made in advance by way of Bank Draft/Pay Order. Temporary members are not allowed to bring Guests.

10.1 Temporary membership is given by the Secretary on first come first serve basis and on availability of vacancy.

10.2 Applicant is required to submit two stamp size photographs of self and dependents for separate membership cards. A copy of birth certificate for dependent legal children between the age of 5 years to 21 years is also required.

11. **Special Temporary Membership**

Only Central/State Govt. Officials residing within the radius of 10 Kms. from the complex are eligible for this type of membership, subject to approval by the Screening Committee and on payment of non-refundable fee for 3/6 months/1 year for the applicant, spouse and children (children below 21years). Officials working in Banks, Public Sectors and Autonomous bodies are not eligible for this type of membership.

12. **Honorary Membership**

Past and present Chairman, Vice Chairman, Members, ACEO/DCEO, G.M. (Finance), G.M. (Planning), G.M. (Project), D.M. Gautam Budh Nagar, Secretary of Governing Body and Management Committee will be the Honorary Members.

13. **Special Honorary Membership**

This is offered to Arjuna/Laxman Awardees or to exceptional National /International players residing in NCR (UP) as per the rules framed by the Sports Governing Body. Special Honorary member will be exempted from paying the entry fee but will be charged normal annual subscription as per prescribed rates.

14. **Staff Membership**

This type of membership is restricted only to employees of the GNIDA, NOIDA and YEIDA.

15. **Guest Membership**

Guests can be brought by the regular member to avail facilities of the Complex as per bye-laws of the Complex. The name of the guest and that of the member will be entered in the book kept for the purpose. **The duty in-charge has the right to refuse or accept guest membership.**

10. **अस्थायी सदस्यता**

अस्थायी सदस्यता यथानिर्धारित अप्रतिदेश शुल्क का एक साथ भुगतान पर 3/6 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। यह पारिवारिक सदस्यता है। आश्रितों (पत्नी/पति एवं बच्चों) को आश्रित के निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में अग्रिम रूप में करना होगा। अस्थायी सदस्यों को अतिथि लाने की अनुमति नहीं होगी।

10.1 अस्थायी सदस्यता, सचिव द्वारा पहले आओ– पहले पाओ पर और स्थान उपलब्ध होने पर दी जाती है।

10.2 आवेदक को प्रथक सदस्यता कार्डों के लिए अपने तथा आश्रितों के डाक टिकट के आकार के दो फोटो देने होंगे। 5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के आश्रित कानूनी बच्चों के जन्म–प्रमाणपत्र की एक प्रति भी जमा करानी होगी।

11. **विशेष अस्थायी सदस्यता**

परिसर के 10 कि.मी. दायरे में रहने वाले केवल सरकारी अधिकारी प्रबंधन समिति के अनुमोदन और आवेदक की पत्नी/पति और बच्चों (21 वर्ष से कम आयु के) लिए 3/6 माह/एक वर्ष के लिए समयकालिक अप्रतिदेय शुल्क के रूप में निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की शर्त पर इस प्रकार की सदस्यता लेने के पात्र हैं। बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्रों एवं स्वायत्त निकायों में कार्यरत कर्मचारी इस प्रकार की सदस्यता के लिए पात्र नहीं हैं।

12. **मानद सदस्यता**

गवर्निंग वाडी एवं प्रबन्धन समिति के भूतपूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य अपर/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महाप्रबन्धक वित्त, नियोजन, परियोजना, जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर एवं सचिव मानद सदस्य होंगे।

13. **विशेष मानद सदस्यता**

यह सदस्यता एन.सी.आर. (उ.प्र.) के अर्जुन/लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त या उत्कृष्ट राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को गवर्निंग बाडी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाती है। विशेष मानद सदस्यों को प्रवेश–शुल्क के भुगतान से छूट होगी किन्तु उनसे समान्य वार्षिक अंशदान निर्धारित दरों के अनुसार लिया जायेगा।

14. **स्टाफ सदस्यता**

इस प्रकार की सदस्यता केवल ग्रेटर नौएडा, नौएडा एवं यमुना एक्सप्रैसवे ओद्यौगिक विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों तक सीमित है।

15. **अतिथि सदस्यता**

नियमित सदस्य निर्धारित शुल्क के भुगतान की शर्त पर परिसर की उप–विधियों के अनुसार परिसर की सुविधाएं लेने के लिए अतिथि ला सकते हैं। अतिथि एवं सदस्य का नाम इस उद्देश्य के लिए रखे गए रजिस्टर में लिखा जाएगा। ड्यूटी प्रभारी को अतिथि सदस्यता को अस्वीकार करने या स्वीकार करने के सभी अधिकार हैं।

15.1 A member will be responsible for the conduct of his/her Guest.

15.2 Management/duty in-charge has right to refuse any guest during peak hours i.e. 6.00 to 8.00 AM and 7.00 to 9.00 PM (in summer) & 6.30 to 8.30 AM and 6.30 to 8.30 PM (in winter) for any facility.

16. Casual Membership (Pay & Play)

Causal membership (valid for the day) may be allowed by Complex in-charge. This category of membership will be allowed subject to availability of sports facilities.

17. Membership of widows/ widowers

In the case of widow / widower of a deceased individual member who applies to be admitted as an individual member, she/he may be made a member subject to the approval of Management Committee. No entrance fee shall be payable in such cases .However, previous outstanding dues will be settled before membership is allotted.

18. Membership Card

18.1 Each member and dependent member will be permitted to use the facilities only on production of membership card. Separate membership cards for members and dependents are required to be made on payment as prescribed from time to time. Member's /dependent's coloured photograph of size1" x 1 1/2" has to be affixed on the card.

18.2 It is the responsibility of the member to apply for preparation of membership card and to collect it after the due date.

18.3 **Not applying or collecting the cards will not be an excuse for not paying annual subscription/using the facilities without having the membership card.**

18.4 If a card is lost the member has to apply for duplicate card along with copy of Police Report. In case of loss of card by dependent, a request is required from the member for duplicate card.

18.5 Loss of card will invite penalty of Rs. 100/- or as revised plus additional charges as prescribed for making a duplicate card.

18.6 Validity of dependent card for children is 5 years or the date of attaining the age of 21 years whichever is earlier. On completion of 5 years from the date of issue of the card the member should apply for the fresh card especially for the dependent on payment and surrender the old card.

19. Entrance fee and Subscription Fee for Membership

The following are the rates for entrance fee and annual subscription. These are subject to revision from time to time.

15.1 सदस्य अपने अतिथि के आचरण के लिए जिम्मेदार होगा।

15.2 प्रबंध–तंत्र/डयूटी प्रभारी किसी भी अतिथि को व्यस्त घंटों अर्थात प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं सायं 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक (ग्रीष्मकाल में) और प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 8.30 बजे एवं सायं 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक (सर्दियों में) किसी भी सुविधा के लिए मना कर सकता है।

16. आकस्मिक सदस्यता : (भुगतान करो एवं खेलो)

परिसर प्रभारी अकास्मिक सदस्यता हेतु (केवल दिन के समय वैध) अनुमति दे सकता है। इस श्रेणी की सदस्यता खेल–सुविधाएं उपलब्ध होने की शर्त पर ही दी जाएगी।

17. मृतक सदस्यों की विधवा/विधुरों की पृथक सदस्यता

किसी मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में जो व्यक्तिगत सदस्य के रूप में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करती/करता है, उसे खेल प्रबन्धन समिति के अनुमोदन पर सदस्य बनाया जा सकता है। ऐसे मामलों में कोई प्रवेश शुल्क देय नहीं होगा। तथापि सदस्यता आवंटित करने से पहले पिछले बकाया शुल्क का निपटान करना होगा।

18. सदस्यता कार्ड

18.1 प्रत्येक सदस्य (आकस्मिक सदस्य को छोड़कर) को सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर खेलने की अनुमति दी जाएगी। सदस्यों एवं आश्रितों के लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर पृथक–पृथक सदस्यता कार्ड बनवाने होंगे। कार्ड पर सदस्यों/आश्रितों के 1" x 1½" आकार के रंगीन फोटों चिपकाने होंगे। सदस्यता कार्डों के लिए भुगतान और शर्तें यथानिर्धारित है।

18.2 सदस्यता कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने और निर्धारित तारीख के बाद कार्ड लेने की जिम्मेदारी सदस्य की होगी।

18.3 कार्ड के लिए आवेदन नहीं करना, कार्ड नहीं लेना सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करते हुए वार्षिक अंशदान का भुगतान नहीं करने के लिए क्षम्य नहीं होगा।

18.4 यदि कार्ड गुम हो जाता है तो सदस्य को दूसरा कार्ड बनवाने के लिए पुलिस–रिपोर्ट की एक प्रति के साथ आवेदन करना होगा। आश्रित से कार्ड गुम हो जाने पर दूसरा कार्ड लेने के लिए सदस्य अनुरोध करेगा।

18.5 कार्ड खो जाने पर दूसरा कार्ड बनवाने के लिए रु. 100 का जुर्माना या यथानिर्धारित अतिरिक्त प्रभार दूसरा कार्ड बनवाने हेतु लिया जाएगा।

18.6 बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैद्यता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख जो भी पहले हो, होगी। कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरे होने पर सदस्य विशेष रूप से आश्रित के लिए भुगतान पर नए कार्ड के लिए आवेदन करेगा और पुराना कार्ड वापस लैटाएगा।

19. सदस्यों के लिए प्रवेश शुल्क एवं अंशदान–शुल्कः (प्रतिदेय)

प्रवेश–शुल्क एवं वार्षिक अंशदान की दरें निम्नलिखित है। इसमें समय–समय पर परिवर्तन हो सकता है।

क्रं. Sr.	श्रेणी Category	सदस्यता शुल्क Membership Charges (अप्रतिदेय) (Non Refundable)	वार्षिक अंशदान Annual Subscription	टिप्पणी Remarks
क A	**आजीवन सदस्यता** **Lifetime Membership**			
	(1) सरकारी कर्मचारी (i) Government Service	₹ 50,000/-	₹ 3,600/-	
	(2) स्टाफ सदस्यता (ii) Staff Membership	₹ 10,000/-	₹ 1,800/-	(GNIDA, NOIDA and YEIDA Employee)
	(3) व्यक्तिगत सदस्यता (iii) Individual Membership	₹ 1,00,000/-	₹ 4,800/-	
	(4) वरिष्ठ नागरिक (iv) Senior Citizen	₹ 8,000/-	₹ 2,400/-	केवल 60 वर्ष की आयु से अधिक (Above 60 yrs.)
	(5) विदेशी नागरिक (v) Foreign Citizen	$ 6,000/-	$ 360/-	(डालर के समकक्ष रूप या) (equivalent in Rs.)
	(6) अप्रवासी भारतीय (vi) Non Resident Indian	$ 4,000/-	$ 360/-	(डालर के समकक्ष रूप या) (equivalent in Rs.)
	(7) एसोसिएट (vii) Associate	₹ 50,000/-	₹ 3,000/-	(आश्रित हकदार नहीं) Dependant not entitled
ख B	**निगमित सदस्यताः** **Corporate Membership**			
	(1) भारतीय कम्पनी (i) Indian Company	₹ 5,00,000/-	₹ 12,000/-	(कंपनी द्वारा नामांकित किए जाने वाले 5 कर्मचारी, आश्रित सहित) Including dependant for 5 employees to be nominated by the company
	(2) विदेशी कम्पनी (ii) Foreign Company	$ 12,000/-	$ 600/-	(डालर के समकक्ष रूपया) (equivalent in Rs.)
ग C.	**अस्थायी सदस्यताः** **Temporary Membership**			
	(1) भारतीय नागरिक (i) Indian Citizen	₹10,000/-	Nil	(केवल 3 महीनों के लिए) (for 3 months only)
	(2) भारतीय नागरिक (ii) Indian Citizen	₹15,000/-	Nil	(केवल 6 महीनों के लिए) (for 6 months only)
	(3) विदेशी नागरिक (iii) Foreign Citizen	₹ 15,000/-	Nil	(केवल 3 महीनों के लिए) (for 3 months only)
	(4) विदेशी नागरिक (iv) Foreign Citizen	₹ 20,000/-	Nil	(केवल 6 महीनों के लिए) (for 6 months only)
	(5) विशेष अस्थाई (3 महीना) (iv) Special Temporary (3 months)	₹ 6,000/-	Nil	(आश्रित सहित) Including dependant
	(6) विशेष अस्थाई (6 महीना) (vi) Special Temporary (6 months)	₹ 10,000/-	Nil	(आश्रित सहित) Including dependant
	(7) विशेष अस्थाई (1 वर्ष) (vii) Special Temporary (1 year)	₹ 20,000/-	Nil	(आश्रित सहित) Including dependant
	(8) विशेष मानद (viii) Special Honorary	भार मुक्त (Exempted)	Nil	
	(9) अनुपस्थित सदस्यता (xi) Absentee Membership	Nil	₹ 1200/-	

क्रं. Sr.	श्रेणी सदस्यता शुल्क Category	मासिक अंशदान Membership Charges (अप्रतिदेय) (Non Refundable)	टिप्पणी Annual Subscription	Remarks
(घ) D.	**आकस्मिक सदस्यता** (भुगतान करो एवं खेलो) **Casual Membership** (Pay & Play)			
	(1) अतिथि सदस्यता (सदस्य के साथ) (i) Guest Membership (with member)	₹ 100/-	N/A	प्रतिदिन प्रति व्यक्ति per day per guest
	(2) भारतीय नागरिक (ii) Indian Citizen	₹ 150/-	N/A	प्रतिदिन पर व्यक्ति Per day per person
	(3) विदेशी नागरिक (iii) Foreign Citizen	₹ 400/-	N/A	प्रतिदिन पर व्यक्ति Per day per person
	(4) विद्यार्थी (iv) Students	₹ 50/-	N/A	प्रतिदिन पर व्यक्ति Per day per person

टिप्पणीः– Note:-

1. सभी प्रभारों / शुल्क में, कोई सूचना दिए बिना परिवर्तन किया जा सकता है।
   All the charges / fee are subject to change without any notice.
2. सदस्यता का प्रवेश शुल्क अप्रतिदेय है।
   Entry fee of Membership is non- refundable.

** सरकारी कर्मचारी–केन्द्रीय, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों अर्थात ग्रेटर नौएडा, नौएडा, यमुना एक्सप्रैसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
Govt. Servants-employees of Central Govt., State Govt., and local bodies i.e. GNIDA, NOIDA, YEIDA.

3. सभी प्रभारों / शुल्कों पर लागू टैक्स लिया जायेगा।
   Taxes as applicable will be charged extra on all the payments.

20. Payment of Subscription

20.1 No bills will be sent to the members. Dues as per the rate of subscription may be paid through Cashless or paid in cash to the Accountant/ Cashier of the Sports Complex (between 10.00 AM to 5.00 PM except lunch break from 1.00 PM to 2.00 PM on all working days). Subscription may be paid in advance for a annual, before 31st March every year.

20.2 Members may also drop the demand draft of annual subscription even in the odd hours in the DD affixed in the Administrative Block with the following information on the back of the cheque:-

i) Name of Member
ii) Membership Number
iii) Period of payment

The Demand Draft must be drawn in favor of "SC-GNIDA".

20.3 Receipt of such Demand Draft will be available at the Reception in the Administrative Block

21. Exemption for Subscription

21.1 Honorary Members and their dependents shall not be liable to pay any entrance fee or annual subscription.

20. अंशदान का भुगतान

20.1 सदस्यों को कोई बिल नहीं भेजा जाएगा। खेल परिसर के लेखाकार / रोकड़िया को अंशदान की दर के अनुसार देय डिमांड ड्रॉफ्ट द्वारा भेजी जा सकती है अथवा नकद भुगतान किया जा सकता है। सभी कार्य–दिवसों को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक, भोजन–अवकाश (1 बजे से 2 बजे तक छोड़कर) अंशदान का भुगतान 31 मार्च अथवा पूरे वर्ष के लिए अग्रिम रूप से किया जा सकता है।

20.2 सदस्य अन्य घंटों में भी प्रतिवर्ष अंशदान या डिमांड ड्रॉफ्ट प्रशासनिक ब्लाक के बाहर रखे डिमांड ड्रॉफ्ट बाक्स में डाल सकते हैं। डिमांड ड्रॉफ्ट के पीछे निम्नलिखित सूचना लिख दें।

i) सदस्य का नाम
ii) सदस्यता संख्या
iii) भुगतान की अवधि

डिमांड ड्रॉफ्ट "SC-GNIDA" के पक्ष में केवल आदाता के खाते में रेखाकिंत होने चाहिए।

20.3 ऐसे डिमांड ड्रॉफ्टों की रसीद प्रशासनिक ब्लाक के स्वागत कक्ष में उपलब्ध होंगी।

21. अंशदान से छूट

21.1 मानद सदस्यों को आश्रितों सहित कोई प्रवेश शुल्क अथवा प्रतिवर्ष अंशदान अदा नहीं करना होगा।

21.2 GNIDA officials who are working in the Sports Complex in various capacities are exempted from paying subscription including their dependents as long as they are working in the Sports Complex.

21.3 GNIDA Engineers, Architects etc. who are associated with the development of sports Complex would also not be charged annual subscription till such time they are associated with the Sports Complex. Such cases will be processed & approved individually by Secretary, Management Committee on receipt of written request from the members.

22. Termination of Membership

Membership can be terminated for any of the following reasons:-

(a) On the Member's request.

(b) For non -payment of dues for a period of 3 months or more. The Management Committee will not be responsible for non-receipt of letters/dues notices by the members.

(c) For misconduct or any act considered prejudicial to the good name and smooth functioning of the Sports Complex or infringement of rules, regulations and bye-laws of the Sports Complex or if any member is adjudicated as bankrupt or insolvent.

(d) If being a subject of a foreign State where war has been declared between India and the state for which he/she is a subject.

(e) If any member is convicted for any offence considered as misconduct or moral turpitude by the Management Committee.

(f) If in the judgment of the Management Committee, Sport Complex, the continuance of the membership is prejudicial to the interest of the Sports Complex.

(g) The members are not allowed to form any Forum or Association or any Union activities within the Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, failing which, such members will be liable to be expelled from membership and their membership will be terminated. In this behalf, the decision of the Management Committee or CEO, GNIDA shall be final & binding.

23. Non-Payment of Dues

Any member who does not pay his subscription in advance for a period of three months i.e. for one quarter will be sent a

21.2 इसी प्रकार ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विभिन्न पदों पर खेल परिसरों में काम कर रहे अधिकारियों / कर्मचारियों, जब तक वे खेल परिसर में कार्य करते रहेंगे तब तक उनको स्वयं के लिए और उनके आश्रितों के लिए अंशदान का भुगतान करने से छूट है।

21.3 खेल परिसर के विकास कार्यों से जुडे ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के अभियंताओं, वास्तुकारों आदि से तब तक प्रतिवर्ष अंशदान नहीं लिया जाएगा जब तक वे खेल परिसरों के कार्य से जुड़े रहेंगे। सदस्यों से लिखित में अनुरोध प्राप्त होने पर सचिव, प्रबन्धन समिति द्वारा ऐसे मामलों की जांच की जाएगी और उन्हें पृथक–पृथक अनुमोदित किया जाएगा।

22. सदस्यता समाप्त करना

निम्नलिखित में से किसी भी कारण से सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी:

(क) सदस्य के अनुरोध पर

(ख) 3 माह अथवा उससे अधिक अवधि के लिए खेल परिसर की देय राशि का भुगतान न करने पर। (सदस्य के पत्र प्राप्त होने अथवा लम्बित भुगतान सूचना के लिए प्रबन्धन समिति जिम्मेदार नहीं होगा।)

(ग) दुराचार अथवा खेल परिसर की प्रतिष्ठा और निर्बाध कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी कार्य अथवा खेल परिसर के नियमों और विनियमों तथा उप–विधियों का उल्लंघन करने अथवा यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया है।

(घ) यदि सदस्य किसी दूसरे ऐसे देश का नागरिक हो तथा उस दूसरे देश और भारत के बीच युद्ध घोषित हो गया हो।

(ड) यदि उसे प्रबंध समिति द्वारा दुराचार अथवा नैतिक गिरावट के रूप में माने गये किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।

(च) यदि प्रबंधन समिति के निर्णय में यह लिखा गया है कि सदस्यता जारी रहने से खेल परिसर के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(छ) सदस्यों को शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा संकुल में किसी फोरम या एसोसिएशन का गठन करने या कोई मजदूर संघ कार्यकलाप करने की अनुमति नहीं होगी। अन्यथा ऐसे सदस्यों को सदस्यता से वंचित कर दिया जायेगा। इस संबंध में खेल प्रबन्ध समिति या मु.का.पा. अधिकारी ग्रेटर नौएडा, का निर्णय अन्तिम होगा।

23. देय राशियों का भुगतान नहीं करना

यदि कोई सदस्य तीन महीने अर्थात एक तिमाही की अवधि के लिए अपने देय अंशदान का भुगतान नहीं करता है तो उसे परिसर के

registered notice addressed to his last known address as per records of the complex asking him to clear it within 15 days of the issue of notice. If the member fails to pay the dues within the stipulated period, his / her name will be put up in the defaulter's list on the complex's Notice Board for another 15 days and thereafter his membership will automatically stand terminated.

24. Restoration of cancelled Membership

Restoration of membership is normally not permitted except in exceptional cases if applied within a period of two years subject to the satisfaction of Secretary, Management Committee and on payment of 1/3rd of the current membership entrance fee along with up to date payment of arrears including the period for which membership remained under cancellation. Restoration Charges will be based on the status of membership category on the date from which membership stood cancelled i.e. if the member defaults after becoming Senior Citizen, only then will the restoration charges be based on entry fee/ annual subscription as applicable to Senior Citizen.

24.1 Request for restoration of membership will not be entertained where membership was cancelled:-

i) On the member's request.

ii) For misconduct or any act considered prejudicial to the good name and smooth functioning of the complex or infringement of rules/ regulations and bye-laws of the sports complex.

iii) If any member is proceeded against for any offence considered as misconduct or moral turpitude by the Management Committee.

24.2 Proof of out of station / residence submitted for restoration of membership will not be entertained for absentee membership of period (affected period) for which membership remained under cancellation.

25. Notices to Members

In all cases where it is necessary to give notice to members under any of the rule, it shall be sufficient that such notice be sent or posted to their last known address, save as otherwise provided.

26. Infraction of Rules & Bye-Laws

The Management Committee is empowered to suspend the membership of any member for infraction of rules and bye-laws and can disqualify him/her for the use of complex facilities.

रिकार्ड में दर्ज अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत नोटिस भेजा जाएगा और उन्हें स्मरण पत्र जारी होने के 15 दिनों के अन्दर देय राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। यदि सदस्य निर्धारित अवधि के अंदर देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा तो उसका नाम अगले 15 दिनों के लिए परिसर के नोटिस बोर्ड पर चूक कर्ताओं की सूची में लिख दिया जाएगा और तत्पश्चात उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

24. रद्द की गई सदस्यता बहाल करना

सामान्यतः अपवाद स्वरूप मामले को छोड़ कर शेष मामलों में सदस्यता बहाल करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अपवादस्वरूप मामलों में सदस्यता बहाल करने के लिए आवेदक ने दो वर्षों की अवधि के अंदर आवेदन किया हो और सचिव प्रबंधन समिति उस आवेदन से संतुष्ट हो तथा उसे सदस्यता की रद्दकरण अवधि सहित आज तक की बकाया राशि के साथ वर्तमान सदस्यता प्रवेश शुल्क की 1/3 राशि का भुगतान करना होगा। यदि सदस्य वरिष्ठ नागरिक होने के उपरान्त सदस्यता बहालीकरण की श्रेणी में आता है तो वह भी बहाली शुल्क का आधार प्रवेश शुल्क/वार्षिक अंशदान जैसा वरिष्ठ नागरिक श्रेणी हेतु निर्धारित है देय होगा।

24.1 यदि सदस्यता निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दी गई हो तो सदस्यता बहाल करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(क) सदस्य के अनुरोध पर।

(ख) दुराचार या खेल–परिसर की प्रतिष्ठा और निर्बाध कार्य कलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी कार्य या खेल–परिसर के नियमों तथा विनियमों और उप–विधियों का उल्लंघन किया गया हो।

(ग) यदि किसी सदस्य ने प्रबन्धन समिति द्वारा दुराचार या नैतिक पतन के रूप में माने गए किसी अपराध का कार्य किया हो।

24.2 जिस अवधि के लिए सदस्यता रद्द की गई हो उस अवधि की अनुपस्थित सदस्यता (प्रभावित अवधि) की सदस्यता बहाल करने के लिए स्थान/निवास–स्थान से बाहर रहने का प्रस्तुत किया गया प्रमाण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

25. सदस्यों को नोटिस

जिन मामलों में किसी भी नियम के अन्तर्गत सदस्यों को नोटिस देना आवश्यक हो, उन मामलों में उनके उपलब्ध पिछले पते पर नोटिस देना अथवा डाक से भेजना पर्याप्त होगा बशर्ते कि अन्य व्यवस्था न हो।

26. नियमों और उप–विधियों का उल्लघंन करना

प्रबन्ध समिति को नियमों और उप–विधियों का उल्लघंन करने पर किसी भी सदस्य की सदस्यता को समाप्त करने के लिए और परिसर का उपयोग करने से अयोग्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

27. Conduct of Members

In case the conduct of a member or dependent, in the opinion of the complex in charge, is injurious to the character and interest of the complex, his/her membership shall be suspended/ terminated.

28. Absentee / Outstation Membership

28.1 Members who may be remaining temporarily out of NCR (UP)/Country for a minimum period of three months at a time may apply for absentee (Outstation) membership. This will commence only from the date of their departure and subject to the receipt of written communication along with documentary proof in the form of office order, transfer certificate, passport/ visa etc.

Absentee (outstation) membership will be approved on the surrender of cards which can be reclaimed on return by the member.

28.2 Dependents will also be treated as outstation absentee members along with the member. Dependents, however, can be granted permission for being outstation absentee members separately if they are staying outside for studies etc. subject to providing proof and surrendering of cards.

28.3 Not using the complex for any reason is no excuse for claiming absentee (outstation) membership.

29.4 Satellite towns like Noida, YEIDA, Faridabad, Gurgaon, Ghaziabad, Delhi are treated as being within NCR.

28.5 Annual subscription for absentee membership is Rs.1200/- or as revised.

28.6 Absentee (outstation) membership will be granted for a maximum period of five years continuously.

28.7 Absentee (out-station) membership will not be granted ex-post- facto. It will commence from the date of receipt of written request & completion of usual formalities.

29. Use of Complex by Govt. / Recognized Schools / Colleges/Institutions.

Permission to Schools/ Colleges to use the facilities of the complex can be granted on batch booking basis for a period of one month. This is applicable to games like Basketball, Football, Hockey, Table-Tennis, Badminton, Squash, etc. on nominal charges as fixed from time to time for each category per hour per month. This permission will be granted subject to availability of grounds/ courts/tables.

27. सदस्यों का आचरण

यदि परिसर–प्रभारी की राय में किसी सदस्य अथवा उनके आश्रित व्यक्ति का परिसर में आचरण परिसर की प्रतिष्ठा और हित के लिए अनुचित है तो परिसर से उनकी सदस्यता स्थगित/समाप्त कर दी जाएगी।

28. अनुपस्थित–बाह्यय सदस्यता

28.1 ऐसे सदस्य जिन्हें एन.सी.आर./देश से अस्थाई रूप से लगातार न्यूतनम तीन महीने की अवधि के लिए बाहर रहना हो वे अनुपस्थिति (बाहर जाने) सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। उक्त सदस्यता उनके जाने की तिथि से आरंभ होगी और कार्यालय आदेश, स्थानातरण प्रमाण–पत्र, पासपोर्ट/वीजा आदि के रूप में दस्तावेजी सबूत के साथ लिखित अनुरोध पत्र प्राप्त होने की शर्त पर होगी।

अनुपस्थित (बाहर जाने) सदस्यता कार्ड जमा कराने पर अनुमोदित होगी, जिसे सदस्य लौटने पर वापिस ले सकते हैं।

28.2 सदस्य के साथ उनके आश्रित व्यक्तियों को भी अनुपस्थित सदस्य माना जाएगा। तथापि यदि आश्रित व्यक्ति अध्ययन आदि के लिए नगर/देश के बाहर ठहरे हुए हों तो उन्हें सबूत प्रस्तुत करने और कार्ड जमा करने पर नगर/देश से बाहर/अनुपस्थित सदस्य के रूप में पृथक से अनुमति दी जा सकती है।

28.3 किसी भी कारणवश परिसर का प्रयोग न करने को अनुपस्थिति (बाहर जाने) सदस्यता का दावा करने का कारण नहीं माना जाएगा।

28.4 उप नगरों जैसे नौएडा, यीड़ा, फरीदाबाद, गुडगाँव, गाजियाबाद, को एन.सी.आर. के अन्दर ही माना जाएगा।

28.5 अनुपस्थित सदस्य और प्रत्येक आश्रित के लिए प्रतिवर्ष अंशदान रु. 1200 निर्धारित है।

28.6 अनुपस्थित (बाहर जाना) सदस्यता की अनुमति अधिकतम लगातार 5 वर्षों के लिए दी जा सकती है।

28.7 अनुपस्थित (बाहर जाना) सदस्यता पूर्व प्रभाव से नहीं दी जाएगी। यह लिखित अनुरोध प्राप्त होने और सामान्य औपचारिकता पूरी किए जाने पर प्रारंभ होगी।

29. सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों/कालेजों/संस्थानों द्वारा परिसर का उपयोग

स्कूलों/महाविद्यालयों को परिसर में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग की अनुमति बैच बुकिंग आधार पर एक माह की अवधि के लिए दी जा सकती है। यह अनुमति खेलों जैसे बास्केट बाल, क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी, टेबिल टेनिस, बैडमिंटन, स्वकैश आदि के लिए समय–समय पर निर्धारित नाम मात्र के प्रभार पर प्रत्येक वर्ग हेतु प्रति घंटा/प्रति माह के आधार पर है। यह अनुमति मैदान उपलब्ध होने पर ही दी जाएगी।

30. Copies of Rules & Bye-Laws

30.1 A Copy of the rules & bye-laws will be available in the Complex Administrative office for any reference and shall be furnished to members of the complex on payment of Rs.500/- or as revised on demand taxes extra, as applicable

30.2 Any person who has taken up membership of the complex is bound by the rules, regulations and bye-laws of the complex.

31. Utilization of Sports facilities by students who are not members.

Students are permitted to use sports facilities at sports complex between 10.00 AM to 4.00 PM on production of their Identity Card as well as school permission. Other rules and regulations & bye-laws of the complex will remain the same for them.

32. Coaching

Coaching in certain disciplines is available in the complex. The complex engages the services of qualified coaches from time to time. Details of coaching classes & fee can be obtained from the office of the sports complex.

32.1 Apart from the complex coaches, no other private coaching is allowed in the complex from the members or any guest and other persons. Complex authority will not be responsible for cheating or any misconduct by such persons.

32.2 If somebody is found indulging in private coaching, the complex authority has full right to debar such member/ coach from the complex and disciplinary/ punitive action will be initiated against such member.

33. Timings

The timings of opening and closing of Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex and of any facility provided therein will be as per the order of the Management Committee. Normally, timings will be 6.00 AM to 9.00 PM in summer. In winter, the sports complex will open at 6.30 AM and members can use the facilities up to 8.30 PM. Monday will be observed as closed day for sports facilities. The Management Committee may set apart specific timings/ days for use of facilities by juniors, for coaching and training too. The Management Committee may also prescribe specified days on which guests may not be allowed.

34. Compensation against Any Loss/ Injury/ Damages

The members, their dependents / guests and other persons are required to take all precaution so that no loss, injury or damage is caused to any person. The GNIDA and/or the Management of the Sports Complex shall not be responsible for any injury, loss or damage sustained or caused to any member, his/her dependents, any other person brought to the Complex or passing through the Sports Complex or using any

30. नियमों और उप विधियों की प्रतियां

30.1 परिसर के प्रशासनिक कार्यालय में संदर्भ के लिए नियमों और उप–नियमों की प्रति उपलब्ध होगी और इनकी प्रति परिसर के सदस्यों द्वारा मांग करने पर निर्धारित शुल्क रु. 500/– के भुगतान या समय–समय पर निर्धारित भुगतान पर उपलब्ध होगी कर अतिरिक्त, जैसा लागू हो।

30.2 परिसर की सदस्यता लेने वाला व्यक्ति परिसर के नियमों विनियमों और उप–विधियों को मानने के लिए बाध्य है।

31. गैर सदस्य छात्रों द्वारा खेल सुविधाओं का उपयोग

छात्रों को अपना पहचान – पत्र एवं स्कूल की अनुमति दिखाकर परिसर में उपलब्ध सुविधाओं का प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक लाभ उठाने की अनुमति है। तथापित उन पर परिसर के अन्य वही नियम एवं विनियम और उप–नियम लागू होंगे।

32. प्रशिक्षण

परिसर में कुछ खेलों में प्रशिक्षण उपलब्ध है। परिसर में समय–समय पर योग्य प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जायेंगी। प्रशिक्षण कक्षाओं और शुल्क का विवरण खेल परिसर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

32.1 परिसर के प्रशिक्षकों के अतिरिक्त सदस्य या कोई अतिथि और अन्य व्यक्ति परिसर में कोई निजी प्रशिक्षक नहीं ला सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा धोखेबाजी या दुराचरण के लिए परिसर के प्राधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे।

32.2 यदि कोई व्यक्ति निजी प्रशिक्षण लेता–देता पाया गया तो परिसर के प्राधिकारी को ऐसे सदस्य/प्रशिक्षक को परिसर से निकालने का अधिकार है और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनत्मक/दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

33. समय

शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा शंकुल के खुलने और बंद होने के समय और उसमें उपलब्ध की जाने वाली सुविधा का समय प्रबंधन–समिति के आदेश के अनुसार होगा। सामान्यतः परिसर का समय गर्मियों में प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक होगा। सर्दियों में परिसर प्रातः 6.30 बजे खुलेगा तथा सदस्य सुविधा का उपयोग रात्रि 8.30 बजे तक कर सकते हैं। खेल कूद सुविधाओं के लिए सोमवार अवकाश का दिन होगा। प्रबंधन–समिति कनिष्ठ खिलाड़ियों द्वारा सुविधाओं के उपयोग के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण के लिए विशेष समय/दिन निश्चित कर सकती है। प्रबंधन–समिति वह विशेष दिन भी तय कर सकती है, जिसमें अतिथि को आने की अनुमति नहीं होगी।

34. किसी हानि/चोट/क्षति के लिए मुआवजा

सदस्यों उनके आश्रितों और उनके अतिथियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा सभी प्रकार की सावधानी बरतनी अपेक्षित है ताकि किसी व्यक्ति को कोई हानि, चोट अथवा क्षति न पहुंचे। ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और प्रबन्धन समिति अथवा खेल परिसर में लाये गए किसी भी व्यक्ति अथवा खेल परिसर से गुजरने वाले व्यक्ति अथवा खेल परिसर की किसी भी सुविधा का उपयोग करने वाले व्यक्ति को लगने वाली किसी चोट हानि अथवा क्षति के

facilities of the Sports Complex. The GNIDA and the Management shall not be responsible for any loss, injury or damage caused to any person on any account including the negligence or otherwise of other member or persons of the complex or using the Complex and the GNIDA and its Management shall be kept indemnified and shall always be kept indemnified by the members and other persons.

35. Refund of non-utilization of Sports Facility.

No compensation whatsoever will be made by way of refund of money or adjustment against future play in the event of failure of power supply, bad weather, rain or for any other reason beyond the control of the Management.

NOTE:

1. It shall be the responsibility of the applicant to enquire about approval of his membership within 30 days from the date of submission of application form, if approval/non-approval of membership is not received. Non-receipt of such a letter shall not tantamount to any claim of the member.

2. No bills will be sent for annual subscription. Members will be required to clear their dues on or before the 31st March of every calendar year.

3. It is mandatory to show the membership card/receipt to the Security Personnel at the gates / Game Supervisor before entering into the facility area. Membership card can be checked at any time anywhere by complex authorities.

लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और प्रबन्धन समिति किसी व्यक्ति को अन्य सदस्य अथवा व्यक्ति की लापरवाही से अथवा अन्य कारण से परिसर का उपयोग करने पर कोई हानि, चोट अथवा क्षति पहुंचने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और खेल परिसर की प्रबन्धन समिति को होने वाली क्षति की भरपाई की जायेगी।

35. खेल सुविधाओं के बाधित होने पर शुल्क वापसी

विद्युत प्रसारण में रूकावट, वर्षा अथवा खराब मौसम जैसी परिस्थितियां, जो कि प्रबन्धन समिति के नियन्त्रण में नहीं है, सुविधाओं के उपयोग के समय शुल्क समायोजन का प्रावधान नहीं है।

टिप्पणीः—

1. यदि आवेदक को सदस्यता के अनुमोदन/अस्वीकार होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उनकी यह जिम्मेवारी होगी कि वे आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिनों के अंदर अपनी सदस्यता के अनुमोदन के बारे में पूछताछ करें। ऐसा पत्र प्राप्त न होने से सदस्य के किसी भी दावे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. प्रतिवर्ष अंशदान के लिए कोई बिल नहीं भेजा जाएगा। सदस्यों को देय भुगतान हर वर्ष की तारीख 31 मार्च अथवा उससे पहले करना अनिवार्य है।

3. खेल सुविधा क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले सदस्य को स्वागत कक्ष/गेट पर तैनात सुरक्षा कार्मिक/खेल परिसर के अधिकारी को सदस्यता कार्ड/रसीद दिखाना अनिवार्य है। परिसर के कर्मचारी/अधिकारी किसी भी समय कहीं भी सदस्यता कार्ड की जाँच कर सकते हैं।

SHAHEED VIJAY SINGH PATHIK SPORTS COMPLEX, GREATER NOIDA

COMPLEX BYE-LAWS

1. **Definition**
   The term 'Member' as used in these "bye-laws" includes Individual, Corporate, Temporary, Casual, Staff, Honorary, Special Honorary, Associate, NRI and Senior Citizen members.

2. **Working Days & Timings**
   Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex will remain open on all days of the week except Monday which will be observed as closed day for sports facilities and on days specified by the Management from time to time and on three National holidays (i.e. 26th January, 15th August and 2nd October). The complex will normally remain open from 6.30 AM to 8.30 PM. in winter i.e. 1st December to 28th February and from 6 AM to 9.00 PM in summer i.e. 1st March to 30th November. The complex will remain closed on Holi, Deepawali and Dussehra.

3. Detailed timings for various sports/activities would be approved by the Management Committee. These will however be notified from time to time.

4. The Administrative/Accounts office of the Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex will, however remain closed on every Sunday, 2nd Saturday & all Gazetted holidays. The payment will be accepted by Accounts office between 10.00 AM to 5.00 PM except lunch break from 1.00 PM to 2.00 PM.

5. The Management Committee may prescribe specified days on which guests are not allowed and also set apart specific timings/ day for use of facilities by sports persons for coaching & training.

6. **Complex Staff**
   Members, their guests and dependents shall not abuse any of the Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex or use violence whatsoever to any person of the staff. In the event of the member having any occasion to find fault with any person of the staff of the complex, a report of the case should be made in writing to the Administrator on the same/ next working day and it should be entered in the Complaint Book kept with the Administrator. The Administrator may either deal with the case or refer it to the Management Committee as may be found necessary.

शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा संकुल, ग्रेटर नौएडा

परिसर उप–विधियां

1. **परिभाषाः**
   इस उप–विधि में प्रयोग किए गए सदस्य शब्द में व्यक्तिगत, निगमित, अस्थायी, आकस्मिक, कर्मचारी, मानद, विशेष मानद, एसोशिएट, अनिवासी भारतीय और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं।

2. **कार्य दिवस और समय**
   शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा शंकुल, सोमवार जो कि खेल–सुविधाओं के लिए छुट्टी का दिन है और प्रबन्धन समिति द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित किसी दिन और तीन राष्ट्रीय अवकाश दिनों (अर्थात 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर) को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों को खुला रहेगा। परिसर सामान्यतः सर्दियों में अर्थात 1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे और गर्मियों में अर्थात 1 मार्च से 30 नवम्बर तक प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक खुला रहेगा। परिसर होली, दशहरा और दीपावली को भी बंद रहेगा।

3. विभिन्न खेलों/गतिविधियों के लिए समय प्रबंध समिति द्वारा यथा अनुमोदित होगा। तथापि समय–समय पर इसे अधिसूचित किया जायेगा।

4. शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा शंकुल के प्राशासनिक/लेखा कार्यालय प्रत्येक रविवार, दूसरे शनिवार और सभी राजपत्रित अवकाशों के दिन बंद रहेंगे। लेखा कार्यालय द्वारा भुगतान प्रातः 10. 00 बजे से दोपहर 5.00 बजे तक (दोपहर 1.00 बजे से 2.00 बजे तक भोजन अवकाश को छोड़कर) स्वीकार किया जाएगा।

5. प्रबंध समिति ऐसे विशिष्ट दिन निर्धारित कर सकता है, जिसमें अतिथियों को आने की अनुमति नहीं होगी और इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों द्वारा कोचिंग और प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं के उपयोग हेतु विशिष्ट समय/दिन निर्धारित कर सकता है।

6. **परिसर के कर्मचारी**
   सदस्य उनके अतिथि और आश्रित व्यक्ति शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा शंकुल के किसी कर्मचारी के साथ अभद्रता नहीं करेंगे और किसी भी स्टाफ के साथ झगड़ा आदि नहीं करेंगे। सदस्य द्वारा परिसर के किसी भी कर्मचारी के विरूद्व दुर्व्यवहार करने की स्थिति में उसे/अगले कार्य दिवस को प्रशासक को लिखित में मामले की रिपोर्ट की जाएगी अथवा प्रशासक के पास रखी शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज की जाएगी। प्रशासक या तो स्वयं मामले की जाँच कर सकते हैं अथवा मामला प्रबंध समिति के समक्ष जैसा वह आवश्यक समझें भेज सकते हैं।

7. Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex staff will not be sent on any errand or with the message or otherwise withdrawn from his place of work by any member, dependents or guests.

8. Tipping to Staff

No member shall give any money by way of tips to any complex staff. The staff/ complex employee is prohibited to solicit or accept gratuities.

9. Supply of plants, Seedlings & Saplings

Sale of plants, seedlings & saplings is not permitted. Members will not ask gardeners or any staff member for the same. Gardeners are forbidden to supply plants, flowers etc. to members.

10. Selling of items/ materials

Selling of any material of any kind other than by the authorized shop in the complex premises is strictly prohibited. Disciplinary action will be initiated against such person.

11. Breakages

Full value will be charged for all breakages of the complex property from members, their guests and dependents or their servants. However, if in the opinion of the Management, the breakages are willful, the members may be required to pay up to six times the value of the article.

12. Suggestions & Complaints

Suggestions and complaints, if any, should be entered in suggestion/ complaint book kept for this purpose and can be obtained by any member from the Asstt. Manager / Dy. Manager/Manager. The suggestion/ complaint will be looked into by the Administrator and the Management Committee and disposed of accordingly. Spouse and dependent children are, however, not permitted to enter any suggestion or complaint in the suggestion/ complaint book. This may be done by the members themselves.

13. Articles of the Complex

Properties of the complex such as furniture, crockery or other equipment will not be issued/ lent to any member or to any organization outside the complex premises.

14. Pets

Dogs/ pets are not allowed in any part of the complex. For each violation of this bye-law, the owner of the dog/pet may be charged/ fined up to Rs. 2,000/- or as revised by Management Committee from time to time.

7. किसी भी सदस्य, उनके आश्रित व्यक्ति अथवा अतिथि द्वारा शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा शंकुल के किसी भी कर्मचारी को निरूद्देश्य संदेश भेज कर अथवा अन्य किसी प्रकार से उनके कार्य से हटाया नहीं जाएगा।

8. कर्मचारी को इनाम देना

कोई भी सदस्य परिसर के किसी भी कर्मचारी को ईनाम के रूप में कोई राशि नहीं देगा। कर्मचारी/परिसर के कर्मचारी इनाम नहीं मांगेगे/लेंगे।

9. पौधों, पौध और लघु पौधों की आपूर्ति

पौधों, पौध और लघु पौधों की बिक्री की अनुमति नहीं है। सदस्य माली अथवा किसी कर्मचारी को ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे। मालियों द्वारा सदस्यों को पौधे, फूल आदि देना मना है।

10. वस्तुओं/समाग्री की बिक्री

किसी अधिकृत दुकान से भिन्न किसी अन्य द्वारा खेल परिसर में किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री बेचने पर कड़ी पाबंदी है। ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

11. टूट–फूट

सदस्यों, उनके अतिथियों और आश्रित व्यक्तियों अथवा उनके नौकरों द्वारा परिसर की किसी भी सम्पत्ति को तोड़ने पर पूरी कीमत देनी होगी। तथापि, प्रबंध–समिति की राय में किसी सामान को जानबूझकर तोड़ा गया हो तो सदस्य को उस सामान की राशि की छह गुना राशि का भुगतान करना होगा।

12. सुझाव या शिकायतें

यदि कोई सुझाव या शिकायत हो तो इस उद्देश्य के लिए रखी गई सुझाव / शिकायत–पुस्तिका में उसे दर्ज किया जा सकता है, जिसे सहायक प्रबन्धक/उप प्रबन्धक/प्रबन्धक से प्राप्त किया जा सकता है। सुझाव / शिकायत को प्रशासक और प्रबन्ध–समिति द्वारा देखा जाता है और तदनुसार निपटाया जाता है। तथापि पति–पत्नी और आश्रित बच्चों को सुझाव/शिकायत पुस्तिका में सुझाव अथवा शिकायत दर्ज करने की अनुमति नहीं दी है। यह स्वयं सदस्य द्वारा दर्ज की जानी चाहिए।

13. परिसर का सामान

किसी भी सदस्य अथवा परिसर के बाहर के किसी भी संगठन को परिसर की सम्पत्तियों जैसे फर्नीचर, क्रोकरी अथवा अन्य उपकरण जारी/किराए पर नहीं दिया जायेगा।

14. पालतू जानवर

परिसर के किसी भी भाग में कुत्तों/पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति नहीं है। इस उप–विधि का उल्लंघन करने पर कुत्ते/पालतू जानवर के मालिक पर रु. 2,000/– तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या समय–समय पर प्रबंधन समिति द्वारा संशोधित।

15. Cycles/ Scooters

Cycling, riding scooter and motor cycles on the lawns/ courts of the Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex is not permitted. Cycles and Scooters/ Motorcycles should be parked in the Cycle/Scooter parking.

16. Notices

Any printed material or circular for the notice board of the complex must be sent to the Secterary of the Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex for approval and got initialed by him before being placed on the notice board. Members are not permitted to place any notice. Notices will normally be displayed for a week only.

17. Payment

The management will not be responsible for payments made in cash.

18. Cheques cannot be encashed by members. The use of Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex funds for encashing of member's cheques is strictly forbidden.

19. Parking of Vehicles

Members will park cars/scooters/motorcycles etc. in the proper area specified for the purpose out side sports complex.

20. Members/dependents shall be liable to pay the penal charges as prescribed in case of parking in the "No parking area".

21. Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex shall not be held responsible for the loss of any vehicle or any belongings or fitments either kept inside or fitted in the vehicle.

22. Over speeding in the Complex

While entering the Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, cars/ scooters/ motorcycles must slow down to a speed of not more than 10 km. per hour. Over speeding and honking of horns on the complex roads is not permitted.

23. Dress Regulations

Members will ensure that proper decorum with regard to wearing of dress in the Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex is always maintained. Under no circumstances the gentlemen/women will be permitted to visit the complex in Vest Chappals/ Bathroom slippers or dressing gown etc.

24. Proper sports kit will be worn for each sport/game as designated in the bye-laws.

15. साईकिल / स्कूटर

शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा शंकुल की लॉन / कोर्ट में साईकिल, स्कूटर और मोटर साईकिल चलाने की अनुमति नहीं है। साईकिल और स्कूटर / मोटर साईकिल / स्कूटर पार्किंग में खड़ा किया जाना है।

16. सूचनाएं

किसी भी छपी सामग्री / सर्कुलर पत्र को परिसर के नोटिस बोर्ड पर लगाने से पहले शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा शंकुल के सचिव के अनुमोदन के लिए भेजना होगा, जिस पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएगें। सदस्यों को किसी भी प्रकार का नोटिस लगाने की अनुमति नहीं है। नोटिस को सामान्यत एक सप्ताह के लिए लगाया जाएगा।

17. भुगतान

प्रबंध समिति नकद में किए गए भुगतान के लिए तब तक जिम्मेदार नहीं होगा।

18. चैक सदस्यों द्वारा भुनाये नहीं जा सकते। सदस्यों के चैकों का शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा शंकुल निधि के लिए भुनाना वर्जित है।

19. वाहनों की पार्किंग

सदस्य कारों / स्कूटरों / मोटर साईकिलों आदि को पार्किंग के लिए निर्धारित स्पोटर्स कॉम्पलेक्स के वाहरी क्षेत्र की जगह में खड़ा करेंगे।

20. नो पार्किंग एरिया में गलत तरीके से वाहन खड़ा करने के मामले में सदस्यों / उनके आश्रित व्यक्तियों को जुर्माना अदा करना होगा।

21. शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा शंकुल किसी वाहन के खोने अथवा वाहन के अंदर रखी वस्तु अथवा लगी हुई वस्तु चाहे वह वाहन के अंदर रखी हो अथवा उसमें फिट की गयी हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

22. परिसर में तेज गति से वाहन चलाना

शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा शंकुल में प्रवेश करते समय कारों / स्कूटरों / मोटरसाईकिलों की गति 10 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिसर में गति का अधिक होना और हार्न जोर से बजाना मना है।

23. वर्दी नियम

सदस्यों को शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा शंकुल के अंदर वर्दी पहनने के सम्बन्ध में समुचित रूप से नियमों का पालन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में परिसर के अंदर चप्पल / बाथरूम स्लीपर्स आदि पहनने की अनुमति नहीं होगी।

24. प्रत्येक क्षेत्र / गेम के लिए उप–विधि में निर्धारित उचित स्पोर्टस –किट पहननी होगी।

25. Refreshment

Food Courts are located at convenient places for the convenience of members.

25. अल्पाहार

सदस्यों की सुविधा के लिए सुविधाजनक स्थानों पर स्नैक्स बार बनाए जाएगें, जहां अल्पहार उपलब्ध होगा।

26. Drinking & Smoking

Consuming liquor or alcoholic drinks and smoking in the premises of the Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex is strictly prohibited. Members are requested to cooperate and avoid indulging on drinking or smoking.

26. मद्यपान एवं धूम्रपान

शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा शंकुल के अंदर शराब अथवा नशीली वस्तुओं का सेवन करना सख्त मना है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे सहयोग करें और मदिरापान एवं धूम्रपान न करें।

27. Shooting/ Photography

Shooting (Still/Video) in the premises of the Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex is not permitted without prior approval of the Administration.

27. फिल्म बनाना / फोटो खीचना

प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा शंकुल में फिल्म (स्टिल / विडियों) बनाना मना है।

28. Suspension of Membership for indiscipline.

Chairman, Management Committee is empowered to suspend any member and dependent for indiscipline as per rule 23, 28 & 29 of the Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex. The following actions will be taken on suspension of member:

a) A suspended member shall hold his/her lien over the membership status.

b) He/ She will surrender membership card.

c) He/ She will not be allowed to use the facilities until the suspension is revoked.

d) After holding an inquiry if the member is found innocent, he/she will be liable to clear the arrears. If the member is found guilty, his/her membership will be terminated after a formal enquiry.

28. अनुशासनहीनता के कारण सदस्यता का निलम्बन

शहीद विजय सिंह पथिक क्रीडा संकुल के नियम 23, 28 एवं 29 के अनुसार अध्यक्ष, प्रबंध समिति को अनुशासनहीनता करने पर किसी भी सदस्य और आश्रित की सदस्यता को निलंम्बित करने का अधिकार है। सदस्य के निलंम्बित होने पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी।

(क) निलम्बित सदस्य की सदस्यता की स्थिति पर सदस्य को सदस्यता पुनः ग्रहण करने का अधिकार (लीयन) होगा।

(ख) उसे सदस्यता कार्ड वापस करना होगा।

(ग) जब तक निलम्बन समाप्त नहीं हो जाता तब तक उसे सुविधाओं के उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

(घ) जांच के पश्चात यदि सदस्य निर्दोष सिद्ध होता है, तो उसे बकाया राशि का भुगतान करना होगा। यदि सदस्य दोषी सिद्ध होता है तो औपचारिक जाँच के पश्चात उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

29. No arms and ammunition are allowed in the premises of the complex.

29. परिसर में हथियार और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं है।

30. Late Payment charge as at decided by Management Committee of the sports Complex from time to time.

30. खेल परिसर की प्रबंधन समिति द्वारा समय–समय पर देरी से किया गया भुगतान करे।

31. Chairman, Management Committee will be the sole arbitrator for all distribute and exemption in charges etc.

31. अध्यक्ष, प्रबंधन समिति सभी वितरण और शुल्क आदि में छूट के लिए एक मात्र मध्यस्थ होगा।

Sl. No.

Categories of Membership

Categories of Membership

Govt. ☐ Staff ☐ Individual ☐

Sr. Citizen ☐ Foreign ☐ NRI ☐

Corporate(i) ☐ Corporate(f) ☐ Temporary ☐

Spl. Honour ☐ Spl. Honoraby ☐ Honorary ☐

शहीद विजय सिंह पथिक
क्रीडा संकुल

Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex

Greater Noida - 201308, Uttar Pradesh, India

- Strike out which is not applicable. • Write in block letters.
- Please attach two nos. stamp size colour photographs, do not staple.

MEMBER

Photo

Name (Mr/Mrs./Ms./M/S)

Father's/Husband's Name (Mr.)

Date of Birth

Complete Address for correspondence

Pin Code

Permanent Address

Pin Code

Nationality

Mobile No. Phone No.

E-mail ID

DEPENDANTS / SPOUSE

Photo

1. Name (Mr./Mrs)

Relationship with member **WIFE / HUSBAND**

Date of Birth

Nationality

Mobile No. Phone No.

E-mail ID

CHILDREN (BELOW AGE 21)

Photo

2. Name

Relationship with member **SON / DAUGHTER**

Date of Birth

Nationality

Mobile No. Phone No.

E-mail ID

3. Name

Relationship with member **SON / DAUGHTER**

Date of Birth

Valid up to

Nationality

Mobile No. Phone No.

E-mail ID

Photo

DETAILS OF PAYMENT

Membership fee in favour of SC-GNIDA payable at Greater Noida.

DD/Cheque No .... Date .... Amount ....

Bank ....

Requirement of card Nos.

No. of old cards surrendered : Member Spouse Dependants Total

annual Subscription paid up to ....

Son / Daughter more than 21 years of age are not eligible to be dependant.

(Signature of Applicant)

Date:

DECLARATION AND UNDERTAKING APPLICABLE TO ALL CATEGORIES OF MEMBERS

I/We hereby declare that I/we:

- am / are applying for the membership of the Sports Complex after being fully satisfied about the quality and quantity of facilities of the Sports Complex and after going through the Membership Terms & Conditions for the Sports Complex and being satisfied on the basis of my/our own judgement.
- have not been influenced by anything extraneous including any oral assurances given by any person connected with the Sports Complex.

I/We hereby agree to pay:

- subscription Fee as fixed by the Management from time to time which is payable in advance.
- renomination charges applicable from time to time.
- charges of facilities availed by us / our nominees, guests, spouses and children.

I/We agree to surrender the photo identity cards of:

- the children on their attaining the age of 21 years.
- the corporate nominees, their spouses and children if they cease to be corporate nominees.

I/ we:

- have fully read & understood the current Terms & Conditions of the Sports Complex and agree to abide by the same without any reservation.
- accept that in the event of my/our application being rejected, all moneys paid by me/us, if any, shall be refunded without interest within 30 days.
- agree to be fully liable for the violation of the Rules & Regulation as stipulated therein.
- have sought detailed explanations and clarifications from the Management in respect of this application, fully conscious of my/our liabilities and obligations.
- assure the management that in the even of total cancellation/abrogation of the Rules & Regulations, I/we shall accept the decision of the Management and shall not dispute or challenge such cancellation/abrogation.
- am/are aware that the Sports Complex has the absolute right to accept or reject my/our application for membership without assigning any reason and I/we shall not challenge the decision of the management.

(Signature of Applicant with full Name)

CORPORATE / FIRMS

शहीद विजय सिंह पथिक
क्रीडा संकुल

Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex

Greater Noida - 201308, Uttar Pradesh, India

We/M/s ______________________________ hereby nominate the following persons who will use the Sports Complex on our behalf. Full particulars relating to the persons and their family members are attached with the form

1. Name ______________________ Designation ______________________
2. Name ______________________ Designation ______________________
3. Name ______________________ Designation ______________________
4. Name ______________________ Designation ______________________
5. Name ______________________ Designation ______________________

(The aforesaid corporate/firm nominees and their spouses and children will be entitled to use the facilities of the Sports Complex only so long as they remain nominees of the company/firm nominating them.)

(A certified copy of the Memorandum and Articles of Association/Partnership Deed and the latest Annual Reports may please be attached in case of Corporate Membership.)

______________________ ______________________

Authorized Signatory of the Corporate/Firm

Full Name (Designation of stamp / Seal)

Date

ACKNOWLEDGMENT SLIP

Receive from Mr./Mrs./Ms./M/s ....

Membership No. ....

Date of expiry ....

No. of cards eligible (for each card) ....

(Signature of the Official)

ग्रेटर नोएडा स्पोर्टस काम्पलैक्स की सदस्यता हेतु फार्म जमा करने वाले महानुभावों से निम्न बिन्दुओं पर वांछित सूचना/प्रमाण पत्र का प्रेषण।

फार्म सं0-................

1. पारिवारिक पृष्ठ भूमि पर संक्षिप्त विवरण। ....
   ....
   ....
2. नौकरी / व्यवसाय के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण। ....
   ....
   ....
3. क्या आपको न्यायालय ने किसी अपराधिक मामले में दण्डित किया है या विचाराधीन है? [हां] [नहीं]
   यदि हां तो निर्णय की प्रति संलग्न करें।
4. (i) स्थायी पता - प्रमाण पत्र संलग्न करें।
   (ii) पत्राचार हेतु पता- ....
   ....
5. दो ऐसे संभ्रान्त व्यक्तियों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जो आपके सम्बन्धी न हों।

मैं.............................. को भली भांति जानता हूँ तथा ये समाज के सम्मानित नागरिक है।

(i) हस्ताक्षर	(ii) हस्ताक्षर ....
नाम..................................	नाम..................................
पता	पता ....
मो0नं0................................	मो0नं0................................

उपरोक्त सूचना पूर्ण एवं सत्य है। मैने किसी भी तथ्य को छुपाया नही है। यदि उपरोक्त सूचना या इसका कोई भी अंश असत्य एवं भ्रामक संज्ञान मे आता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी, तथा मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

आवेदक के हस्ताक्षर................

पूरा नाम ....

मो0 नं0.............................